

[16/3/2021]

प्रश्न सं. [क-5005]

मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

6
DWP-12336
18.10.17
11

भोपाल, दिनांक 16/10/2017

क/ 2859/3404/2016/बी-4/दो,

प्रति;

पुलिस महानिदेशक,
म0प्र0, भोपाल।

विषय:- म0प्र0 पुलिस दूरसंचार शाखा में जारी पदोन्नति संबंधी जीओपी 98/2001 के स्थान पर नवीन जीओपी लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक पुदूसंस/स्था./आर-686/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं पुदूसंस/स्था./डी-686-बी/2017 दिनांक 05.07.2017

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

निर्देशानुसार लेख है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2002 के आरक्षण के प्रावधानों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु नवीन निर्देश जारी होने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(श्रीदास)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

R-1010
23.7.17

ADG/CLY
SSP/CLY

P/AIG
21
23.10.17

SSP/CLY
24.08.17

OS
HIC

24.10.17
ECLT

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, भोपाल